

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का

बहक

श्री सुरेन्द्र सिंह अ० गोपालदास
पुत्र श्री दीपांडवर प० सावलदान
जाति खारवा नि. जगदीशपुरा
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

मुकदमा नं. 1 / 2018

निर्णय दिनांक 7/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम जगदीशपुरा खसरा नम्बर 43
रकबा 0.1200 हैक्टर किस्म अ. भू. शस्य (राजकीय भूमि) पर संवत् 2075 में श्री सुरेन्द्र सिंह अ० गोपालदास
दीपांडवर प० सावलदान श्री फखल खरीफ जाति खारवा निवासी जगदीशपुरा जिसे
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा काल (बाजरी) कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का
अर्न्तगत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी गण की ओर से प्लीडर अधिवक्ता श्री शक्ति सिंह उपस्थित हुये अधिवक्ता की ओर से बुमालनागा एवं जवाब दावा पेश हुआ जवाब दावा अनुषार ओर से अप्रार्थी गण का ओर पर अति कमी पत्रावली पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम जगदीशपुरा 43 ख.न. 0.1200 हैक्टर रकबा अ. भू. शस्य किस्म पर संवत् 2075 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर काल (बाजरी) कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है। बाजरी की काल

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :- श्री अ. जवाला अ. अति कमी पत्रावली
पर खरीफ फखल अ. बुड कर राजकीय तलबी के लेखन

- (1) अतिकमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।
- (2) लगान दर रूपया 10 रु का 50 गुणा रूपया 60 अक्षर का साह कपड़े कायम की जाती है। (रूपये उतुमीना -) शास्ति

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का जगदीशपुरा भु. अभिलेख निरीक्षक

जवाला एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तर्तीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

(नाम)
नायब तहसीलदार भकरी
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

2018-19.
बज्रिका नं. सव... के पृष्ठ सं. 76...
पत्र प्र... 60/4... 50 की